कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमद

वित्तीय निविदा प्रपत्र

क.सं.	वस्तु का नाम स्पेसिफिकेशन के साथ	दर प्रति नग/पैकेट विथ जीएसटी (अंको में)	दर प्रति नग/पैकेट विथ जीएसटी (शब्दो में)
1	जजमेन्ट पेपर ग्रीन जे.के. ब्राण्ड 80GSM 500 शीट्स (मिल पैक)FS		
2	सफेद पेपर जे.के. ब्राण्ड Easy Copier 70 GSM FS साईज प्रति रिम 500 शीट्स (मिल पैक)		
3	सफेद पेपर जे.के. ब्राण्ड Easy Copier 70 GSM रिम A-4 साईज प्रति रिम 500 शीट्स (मिल पैक)		

NOTE :- All the above specification should be read as " Equivalent or Higher", and all items as per approved sample also.

दरें शब्दों एवं अंकों दोनो में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग है, लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

कार्यालयः—जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

कमांकः— 01 दिनांकः— 8/7/25

कोटेशन आमंत्रण सूचना

इच्छुक फर्मों/सर्व साधारण से जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद कार्यालय के उपयोगार्थ पेपर रीम सामग्री क्रय करने हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्यालय स्टोर रूम, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद में निविदा प्रस्ताव दिनांक ...16/7/25..... को प्रातः 10.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। प्राप्त निविदाएं उसी दिन कमेटी द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

क्र	विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा जमा करने की तिथि व समय
1	विभिन्न प्रकार की पेपर रीम	0.95	

शर्तें :—

1. एकल निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
2. निविदादाता फर्म का आरएसटी/सीएसटी/पैन नम्बर/रजिस्ट्रेशन नम्बर/वेट पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिसकी प्रति संलग्न करनी होगी।
3. निविदाएं बन्द लिफाफे में (सीलबन्द) जिस पर कार्य का नाम स्पष्ट अंकित हो, जमा करानी होगी।
4. निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. अन्य समस्त शर्तें कार्यालय समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

अध्यक्ष,
क्रय समिति,
जिला न्यायालय राजसमद

क्रमांकः— 13401b दिनांकः— 8/7/25

प्रतिलिपिः— सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।
2. समस्त स्टेशनरी सप्लार्यस, राजसमन्द
3. नोटिस बोर्ड ———————————————— चस्पानगी हेतु।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को पोर्टल पर अपलॉड करने हेतु।

अध्यक्ष
क्रय समिति,
जिलान्यायालय,राजसमन्द

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

–: निविदा प्रपत्र :–

1 निविदादाता के कार्यालय/वर्कशाप का पता

मय टेलीफोन नं

.....

.....

2 निविदादाता के घर का पता मय टेलीफोन नं.

.....

.....

.....

4 निविदा की अनुमानित लागत (रूपये) 95,000/–

5. हम :.....द्वारा जारी की गई में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त संविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।

7. फर्म/व्यवस्थापक द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न है :–
(अ) निविदादाताओ का पैन न. / GSTIN No. के प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न है।

6. जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसके संबध में दशार्या गया कार्य फर्म/व्यवस्थापक द्वारा समझ ली गई है। प्रमाणित किया जाता है कि फर्म/व्यवस्थापक पूर्व में किसी राजकीय विभाग/संस्था/सर्वजनिक उपक्रम द्वारा काली सूची में घोषित नही की गई है। उक्त विवरण एवं संलग्न प्रपत्र पूर्णतः सत्य है। असत्य पाये जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकेगा तथा विभाग किसी भी कार्यवाही हेतु सक्षम होगा।

हस्ताक्षर :–
फर्म/व्यक्ति का नाम :–.
पता :–

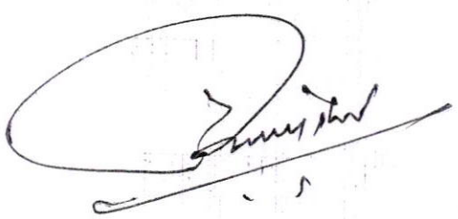
टेलीफोन न. :–

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्त्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्त्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(जो लागू हो उसे √ करें)



कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमद

निविदा की शर्तें

1. निविदादाताओं को इन शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहियें तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिये। अगर निविदादाता को निविदा कि शर्तों या विशिष्टताओं, जो निविदा में दिये गये है, के बारे में किसी प्रकार का निर्वचन/आश्य के संबंध में कोई संदेह हो, तो निविदा भरने से पूर्व संस्था प्रभारी को प्रस्तुत कर प्राप्त कर लेना चाहिये तथा संस्था प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता जिसे स्वीकार करने के लिये बाध्य रहेगा।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
3. वस्तु एवं सेवा कर पंजीयनरू0 कोई भी बिडदाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नही है तो वह बिड नहीं देगा। इस संबंध में पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इसके अभाव में बिड को रद्द कर दिया जायेगा।
4. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बिडदाता बिड के निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने प्रमाण में हस्ताक्षर मय मोहन अंकित करेगा।
5. दरें:—
 - शब्दों एवं अंको दोंनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियों/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांकि सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
 - बोली मे दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें नेट ही दी जावें।
 - बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में परिवर्तन करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
 - बोलीदाता द्वारा बोली आमत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
 - बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लिए ही एक ही दर प्रस्तुत की जावेगी। एक से अधिक दर देने तथा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य स्पेसिफिकेशन के लिए दी गई दरों पर विचार नही किया जावेगा।
 - अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान्य स्टेशनरी के किसी आईटम को उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत क्वोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन सामान्य स्टेशनरी का आईटम, कीमत कम करने या क्वोट करने की तारीक्ष से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
 - वर्णित दरें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, जी.एस.टी. इत्यादि के सहित एफ.औ. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद हेतु होनी चाहिये। सफल निविदादाताओं को सप्लाई आदेश में वर्णित सामान/आईटम की सप्लाई इस कार्यालय द्वारा चाहे गये निर्दिष्ट स्थान पर करने की समस्त जिम्मेदारी होगी।
6. गुणवत्ता औन नमूनाः—
 - किसी भी वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में स्थायी मानक व मापदण्ड न होने की दशा में उसकी सप्लाई कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये नमूने अथवा क्रय समिति द्वारा दिये गये मापदण्ड के अनुसार ही होनी चाहियें।

- निविदा में वर्णित वस्तुओं/सामन के नमूना, वांछत गुणवत्ता इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी भण्डार शाखा में कार्याल्य समय में उपस्थित होकर ली जा सकती है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री का अलग से एक–एक नमूना आवश्यक रूप से कार्याल्य में निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा, जो कि निविदा के निस्तारण के पश्चात् संबंधित को लौटा दिया जावेगा।
- सफल निविदादाता के स्वीकृत नमूने अनुबंध समाप्ति तक कार्यालय में रोके जायेंगे इनके जांच इत्यादि अथवा अन्य कारणों से हुये नुकसान के लिये वह उनकी लागत के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता है।
- जो आईटम कार्यालय नमूने के अनुसार अंकित किए गए है उन आईटम्स के नमूने कार्यालय में उपस्थित होकर देखे जा सकते है। निविदा प्रपत्र मे कार्यालय में उपलब्ध नमूनों के अनुसार ही दरें अंकित करें।
- जो आईटम कार्यालय नमूनें में प्रस्तुत किये जाते है जिस हेतु वित्तीय बोली की दरों का अंकन किया जाना है उन आईटम्स पर समेकित मूल्य के आधार पर वित्तीय बोली का निर्धारण किया जाना है।

7. निर्धारित बिड प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में दी गई बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यालय द्वारा ऐसी किसी भी बिड को प्राप्त नहीं करेगा, जो बिड प्रस्तुतीकरण के लिए नियत दिनांक और समय के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हो। फैक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेग। कोई भी बिड, जो बिड के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् कोरियर/डाक द्वारा पहुंची हो, को विलंब से प्राप्त के रूप में चिन्हित और घोषित किया जा कर, बिना खोली ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बिडदाता को लौटा दी जावेगी।

8. बिडदाता अपनी बिड या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नही किसी को आगे सब लेट कर सकेगा।

9. बोलीयों का प्रत्याहरणं, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण

- बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्य रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थान या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये।
- बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जायें और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण" अंकित हो,
- बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीध ही बोली के बक्से में डाल दिया जायें।
- बोलीयां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।
- किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के प्श्चात् नहीं किया जायेगा। मूल्यांकन की कसौटीः– तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की आईटमवाईज न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकरन किया जायेगा।

10. मूल्यांकन की कसौटीः– तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की आईटमवाईज न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकरन किया जावेगा।

11. मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान रू–बोलियों के मूल्यांकन ओर संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बाली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकर मेंक एवं रेखाचित्रों आदिकी सावधनीपूर्व जांच कर ली है। यदि उसे

इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आश्य के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्वख सके क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्प्ष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. दरें गन्तव्य स्थान राजसमंद शहर के लिए एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किसी भी गाड़ी, भाड़े या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा, तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी न्यायाललय राजसमंद पर दी जाएगी।

14. स्पेसिफिकेशनः–

- बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाया की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होंगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेशिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐं निधारित स्पेसिफिकेशन के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की सतस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- यदि बोलीदाता किसी अनुमोदित आईटम को सप्लाई करने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो उसके समकक्ष या अन्य मेक का आईटम उपापन समिति के अनुमोन के प्श्चात बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि बोलीदाता अनुमोदित सामग्री प्रदाय नहीं करती है तो उपापन समिति स्थानीय बाजार से उक्त या उसके समकक्ष बाजार में उपलब्ध अन्य मेक की सामग्री क्रय करने के लिए सवतंत्र होगी एवं अंतर राशि बोलीदाता की प्रतिभूति राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी।
- अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अंदर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के प्श्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जावेगा माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- वांरटी एवं गांरटी का खंड :– निविदादाता यह गांरटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुए खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से बोली में अंकित अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि वांरटी एवं गांरटी की अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम परिणामी होगा), क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विविरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्ध करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्ध किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्ध करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्ध कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

15) माल की सप्लाईः–

1) बोलीदाता बिड में माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर माल की सही दशा में सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा परिवहन की सामान्य स्थिति में माल में किसी प्रकार की क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

2) माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो वह किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा तथा कार्यालय से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परिवहन के दौरान माल की किसी भी प्रकार की हानि के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा न ही बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

3) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा का निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

16) भुगतानः—

1) बोली में सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर बोजी निरस्त कर दी जावेगी।

2) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोल मानकर बोली निरस्त की जा सकेगी।

3) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में जी.एस.टी.बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियामानुसार भुगतान किया जायेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश के तहत वैधानिक कटोतिया कर भुगतान किया जावेगा।

4) विवादास्पद मदों के सबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

5) उन मामलों के सबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

6) परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्ध की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी। कमसप्लाई, टूटफूट, रद्ध किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated damage) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

17) सुपुर्दगी अवधि एवं परिनिर्धारित क्षय (Delivery Period and Liquidated damage)

1) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सप्लाई निर्धारित गनतव्य स्थान पर पूर्ण करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damage) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली

निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

अ) विहित सुपुर्दगी अवधि के लिए एक चौथाई (1/4) अवधि तक के विलंब के लिए:– 2.50%

ब) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि (1/2) से अनधिक के लिए :– 5.00%

स) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनधिक के लिए :– 7.50%

द) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई (3/4) अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए :– 10.00%

य) विलंब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

र) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

2) यदि बोलीदाता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय दिया जायेगा न कि सप्लाई को पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जायेगा।

3) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

18) बोली प्रतिभूति (Bid Security):-

1) बोली प्रतिभूति राशि बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विशय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। उपापन प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता से बोली आमंत्रित सूचना में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी। इसके अभाव में बोली में विचार नही किया जायेगा। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी सक्षम प्रमाण पत्र संलग्न करने पर प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी।

2) बोली प्रतिभूति राशि जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला के नाम पर बैंकर्स चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जावेगी।

3) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के सबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

4) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शीघ्र पश्चात् कर दिया जाएगा।

5) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

6) बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा:–

a) जब बोलीदाता बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत (Withdraws) या उपान्तरित (Modifies) करता है।

b) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/Work Order) देने के पश्चात विनिदिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

c) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/Work Order) के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

d) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/Work Order) दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा नहीं कराता है।

e) यदि बोलीदाता राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

19) कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) :–

1) सफल बोलीदाता से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की ढाई प्रतिशत होगी। संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति की राशि से कम ही नहीं होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामलें में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी सक्षम प्रमाण पत्र संलग्न करने पर माल के प्रदया के लिए आदेशित परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी।
2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी।
3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज नहीं दिया जायेगा।
5) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्याताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
6) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
7) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरण (Forfeiture of Performance Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा:–

a) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
b) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
c) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो।
d) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस सबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

Note:- As per FD order No F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017 dated 13-08-2020 Performance Security 2.5%, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and 5% of the amount of work order, in case of procurement of works. 0.5% of the amount of quantity ordered for supply of goods, in case of Small Scale Industries of Rajasthan, upto 31-03-2021

20) करार का निष्पादन (Execution of Agreement)

1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेशित किया जाता है।
2) सफल बोलीदाता को प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतक रू 500 तथा अधिकतम रू 15000) के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र स्वयं के व्यय पर निष्पादन करना होगा।
3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य

सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्ध कर सकेगी या यदि वह उचित समझे ता, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतक या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

21) परिणाम में परिवर्तन का अधिकार (Right to Vary Quantity) :–

1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विशयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि वह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिए जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी–

 a. संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत

 b. मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

22) अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing quantities among more than one bidder at the time of award) :– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकारी की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट हैं। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतक बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणें के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

23) बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग (Breach of code of integrity by the bidder) :– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

24) यदि बिडदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

25) उपापन समिति किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ध करने या जिन के बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

26) किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसी करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

27) बिडदाता को करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति।
2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष
3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर
4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कम उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

28) यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवदा के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

29) समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जोधपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेंगी।

30) जो आईटम कार्यालय नमूने के अनुसार अंकित किए गए है उन आईटम्स के नमूनें कार्यालय में उपस्थित होकर देखे जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र में कार्यालय में उपलब्ध नमूनों के अनुसार ही दरें अंकित करें।

31) स्टेशनरी सामग्री सप्लाई की स्वीकृत दरें जारी आदेश से एक वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य रहेगी। **विद्धमान दर संविदा उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी,** यदि दर संविदा के अधीन स्टेशनरी उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गई हो।

32) स्टेशनरी सामग्री सप्लाई की स्वीकृत दरें जारी आदेश से एक वर्ष तक की अवधि में मान्य रहेंगी एवं इस दौरान विभिन्न समयों पर सुविधानुसार जितना क्रयादेश जारी किया जायेगा उतने ही माल की सप्लाई किए जाने हेतु बोलीदाता फर्म बाध्य रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि बोली प्रपत्र तथा प्रपत्र के संलग्न सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया है तथा इनके सभी पृष्ठों पर स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये गये है।

स्थान :–

दिनांक :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व सील